रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936

No. 576] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

लोक उद्यम विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 787(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,लोक उद्यम विभाग में बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक उद्यम विभाग (बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण,वेतन बैंड और वेतनमान में ग्रेड वेतन -**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा,आदि अर्हताएं आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह केअन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारी-वृन्द	33*(2014)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननु-सचिवीय	वेतन बैण्ड-1 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 1800/-रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच **नोट:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		
(11)		
लागू नहीं होता		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति:- उप सचिव या निदेशक - अध्यक्ष अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य अवर सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं.ए.-12018/1/2013-प्रशा.]

ज्योति माथुर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2014

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1999, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff' in the Department of Public Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Department of Public Enterprises (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay of pay scale.**—(The number of the said post, its classification , pay band and grade pay of pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—(No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who have a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—(Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—(Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether Selection Post or Non-Seleciton Post.	Age Limit For Direct Recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	33*(2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service,Group'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-1,Rs.5200-20200+Grade Pay of Rs. 1800/-	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescrihed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:- Deputy Secretary or Director - Chairman Under Secretary(Administration) - Member Under Secretary - Member	Not applicable

[F. No. A-12018/1/2013-Admn.]

JYOTI MATHUR, Under Secy.

4453 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.